



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263670
CG-DL-E-18062025-263670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2446]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2025/ज्येष्ठ 16, 1947

No. 2446]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2025/JYAISTHA 16, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2025

का.आ. 2505(अ).—दिनांक 09.07.2024 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 04.07.2024 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2672 (अ) के आंशिक संशोधन और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार, केरल राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु-मंगलौर पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल) परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री शाहजहां एस., डिप्टी कलेक्टर, केरल सरकार को, एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निष्पादन करने के लिए, एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना 29.05.2025 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/112/2017-जीपी-II (ई-45566)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th June, 2025

S.O. 2505(E).—In partial modification of Government of India Notification No. S.O. 2672(E) dated 04.07.2024 published in the Extraordinary Gazette of India dated 09.07.2024 and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Shajahan S., Deputy Collector, Government of Kerala to perform the functions of Competent Authority for Kochi-Koottanad-Bengaluru-Mangalore Pipeline (KKBMPL) Project of M/s GAIL (India) Limited in the State of Kerala under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on deputation basis, for a period of One Year.

2. This notification will be effective from 29.05.2025.

[F. No. L-14014/112/2017-GP-II (E-45566)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.